स्मरण–पत्र
अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकः–एफ.3( )पो/ए.जी./निलेप/2006–11/ICDS/2011/141915-47 जयपुर, दिनांक 24.10.16

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः– मातृ समितियों एवं अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई गई अग्रिम राशि की वसूली के संबंध में।

संदर्भः– निदेशालय पत्रांक 95589–621 दि. 16.11.11, 15072–104 दि. 29.02.12, 53116–148 दि. 03.07.12, 61018–51 दि. 06.08.12, 81816 दि. 01.11.12, 97079–112 दि. 24.12.12, 37991–38006 दि. 10.05.13, 24795–806 दि. 14.03.14, 80666–676 दि. 24.09.2014 18529–536 दि. 16.03.2015 एवं 94497–504 दि. 05.10.2015

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा आपको प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर द्वारा विभाग की समेकित बाल विकास परियोजनाओं की वर्ष 2006–11 तक की समीक्षात्मक अंकेक्षण प्रतिवेदन में लिये गये आक्षेप के क्रम में जिन मातृ समितियों एवं अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों द्वारा 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पूरक पौष्टिक पोषाहार आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त कर दी है, उनको दी गई अग्रिम राशि रू0 4000.00 अविलम्ब वसूलकर बजट मद 8672–स्थाई नगद अग्रिम, 101–सिविल डिपोजिट मद में जमा कराकर निम्न प्रारूप में सूचना प्रेषित करने हेतु लिखा गया थाः–

जिले का नाम ....

क्र. सं.	परियोजना का नाम	समितियों की संख्या, जिन्हें अग्रिम दिया गया	दी गई कुल अग्रिम राशि	समितियों की संख्या जिन से अग्रिम राशि वसूली की गई	वसूल की गई कुल राशि	शेष राशि	
						समितियों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8

अनेक स्मरण–पत्रों एवं समीक्षा बैठकों में निर्देशों के उपरान्त भी मातृ समितियों से वसूली की कार्यवाही अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। इस क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन मातृ समितियों/अन्नपूर्णा सहकारी समितियों को अग्रिम राशि दी गई है, उनसे अविलम्ब राशि की वसूली पत्र जारी होने के 15 दिवस में सूचना निर्धारित प्रारूप में ई–मेल आई.डी. adn.wcd@rajasthan.gov.in पर भिजवाये, ताकि महालेखाकार कार्यालय को अनुपालना प्रेषित की जा सके। आपके जिले में संचालित बाल विकास परियोजनाओं द्वारा मातृ समितियों/अन्नपूर्णा सहकारी समितियों को अग्रिम राशि नहीं दी गई है तो भी शुन्य की सूचना भिजवायें।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राज. जयपुर।

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in

14948-2253

क्रमांकः–एफ.3( )पो / ए.जी. / निलेप / 2006–11 / ICDS / 2011 / जयपुर, दिनांक 24.10.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त ।
2. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(स्मिता सरीन)
अति. निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राज. जयपुर।

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in